53

रु.10 कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

20 रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

श्री योगेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा आज दि 2-1-17 को प्रस्तुत

2-1-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

10
2-1-17

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनार्विलोकन [illegible] 41 - I-17

रामदयाल पुत्र विष्णुराम, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिमरौदा सेमई, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म0प्र0)

--- आवेदक

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन, द्वारा– कलेक्टर, जिला मुरैना (म0प्र0)
2. जगन्नाथ
3. जसवन्त
4. भौरू
5. रमेश पुत्रगण नन्दकिशोकर, जाति धाकड़,
6. रामसिंह पुत्र हीरालाल, जाति धाकड़, निवासीगण– ग्राम माधौगढ़, तहसील कैलारस, मुरैना (म0प्र0)

--- अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1122/पी.बी.आर./2008 द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 05.12.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनार्विलोकन आवेदन–पत्र अवधि में पेश है।

मननीय महोदय,

आवेदकगण का आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण संक्षिप्त विवरण:–

1– यहकि, ग्राम सिमरौदा सेमई, तहसील कैलारस, जिला मुरैना में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 127, 139, 214, 215, 253/1, 256, 442, 525, 529 कुल सर्वे नम्बर 9, जिनके भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी पुनार्विलोकन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –41–एक/17 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
14 .7.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1122–अध्यक्ष/08 में पारित आदेश दिनांक 05.12.16 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 41–एक/17 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1122–अध्यक्ष/08 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 05.12.16 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 41–एक/17 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्‌यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब–अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्‌यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य